न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 52/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.मानाराम पुत्र धन्नाराम जाति मेगवाल निवासी गांव डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01.प्रहलादराम पुत्र नोहराराम जामि मेघवाल 02.रूपाराम पुत्र नोहराराम जाति मेघवाल निवासीगण मेघवालो का बास पाल तहसील व जिला जोधपुर। 03.चिडी देवी पत्नि रमेश जाति मेघवाल निवासी खारडाभाण्डु तहसील झंवर। 04.मादाराम पुत्र बक्साराम जाति मेघवाल निवासी खाराडा भाण्डु तहसील झंवर जिला जोधपुर 05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर। 06.पुलिस थानाधिकारी झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापत उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09/10/2023

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर के खेत मे प्रार्थीनी सह खातेदारी कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 18 रकबा 20 बीधा 12 बिस्वा अर्थात 3.3346 हैक्टर एव खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीधा 03 बिस्वा अर्थात 0.1862 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा वाके ग्राम नारनाडी आर,आई,क्षेत्र बोरानाडा तहसील झंवर जिला जोधपुर मे आई हुई है जिसे आगे विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम सम्बोधित किया गया है कि उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 18 एव खसरा नम्बर 32 की कुल 21 बीधा 15 बिस्वा मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है प्राथीनी का हिस्सा रकबा 7 बीधा 05 बिस्वा बनता है उपरोक्त खसरान की भुमि पूर्व मे प्राथीनी एव प्रार्थी के भाई खरता एव राणा पिसरान धन्नाराम की सह खातेदारी की कृषि भूमि थी जिसमे तीनो भाईयो माना राणा खरता का 1/3 ,1/3 हिस्सा निहित था। राणाराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि मे राणाराम के वारिसान बंशीलाल एव ओमाराम का नाम राणाराम के स्थान पर इन्द्राज किया गया तथा खरताराम के स्वर्गवास के वाद खरताराम के वारिसान भीकी देवी मांगीदेवी पप्पली एव मथुरा के नाम इन्द्राज की गई। उपरोक्त प्रकरण मे बाद मे तीनो भाईयो के परिवार अलग अलग हो गये तथा खरताराम के कोई पुत्र वारिस नही होने के कारण प्रार्थी द्वारा ही उनके परिवार का पालना पोषण एव अन्य सामाजिक कार्य किए गये तथा उपरोक्त भूमि पर प्रार्थी की काश्त करता था। बाद मे उक्त भूमि का प्रार्थी एव राणा एव खरता के वारिसान ने मौखिक तौर पर बटवाडा वर्ष 1985 को कर लिया जिसके तहत खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीधा 03 बिस्वा भूमि प्रार्थी के बंट मे रखी खसरा नम्बर 18 की भूमि मे से 06 बीधा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी के बंट मे रखी इस प्रकार उक्त दोनो खसरो मे प्रार्थी के 7 बीधा 05 बिस्वा भूमि प्रार्थी के बंट मे रखी जिस पर भौतिक एवम्न वास्तविक रूप से प्रार्थी काबिज हो गया तथा निरन्तर तौर पर प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज हो गया तथा काश्त करने लग गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 18 मे खरता एवं राणा के वारिसान को 7.05 बीधा भूमि मौखिक तौर पर बन्ट मे रखी तथा काश्त करने लग गये तथा सदैव ही उक्त मौखिक बंटवाडे को स्वीकार करते रहे। प्रार्थी ने खरता एव राणा को वारिसान को तरमीम चल कर रेकॉर्ड मे भी मौखिक बंटवाडे के अनुसार विभाजन कर रेकार्ड दुरूस्ती का आग्रह किया परन्तु सभी खातेदार एक साथ इकट्ठे न होने के कारण रेकार्ड मे विभाजन नही करवा पाए परन्तु मौखिक बंट को स्वीकार करते रहे। परन्तु बाद मे खरताराम के वारिसान एव राणाराम के वारिसान को अपनी घरेलू आवश्यकता के कारण उक्त भूमि बेचनी पडी तो उन्होने उक्त भूमि सुठाराम पुत्र केराराम एव प्रहलादराम को विक्रय की तथा उक्त बेचाननामा रेकार्ड मे सामलाती दर्ज होने के कारण पर ही किया परन्तु मौके पर भूमि बंटी हुई थी जिसका

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

वर्णन पुर्व मे किया जा चूका है तथा केता भी उक्त मोखिक बंट के अनुसार की काबिज हुए जिन्होंने कभी भी मौखिक बंट के अनुसार ही काबिज हुए जिन्होने कभी भी मोखिक बंट एव वास्तविक कब्जे को चुनौति नही दी परन्तु बाद मे सुटाराम एव प्रहलादराम ने तथ्यो को छूपाते हुए तथा प्रार्थी की जानकारी मे लाये बगैर मनमाने तौर पर अजनबी केता अप्रार्थीगण को भूमि विक्रय हस्तान्तरण करते हुए राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करवा दिया एव अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे डलवा दिया जिसके तहत अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज है तथा भूमि राजस्व रेकार्ड मे सामलाती दर्ज है परन्तु वास्तव मे भूमि वर्ष 1985 से ही मौके पर बंटी हुई है। प्रार्थी अपने बंट मे आई भूमि खसरा नम्बर 32 की 1 बीधा 03 बिस्वा एव खसरा नम्बर 18 की 06 बिस्वा 02 कुल 7 बीधा 05 बिस्वा पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है हाल मे ही जुलाई माह मे प्रार्थी अपने हिस्से पर काश्त कर रहा तो अप्रार्थीगण कुछ भूमाफियो को लेकर मौके पर आए तथा प्रार्थी एव प्रार्थी की पत्नि को बेदखल कर खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीधा 03 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा करने एव निर्माण की धमकी देने लगे तो प्रार्थी ने मौखिक बंट के बारे मे बताया तो अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि ये भूमि प्रार्थी से हडप लेगे एव जबरन कब्जा कर देगे तथा खसरा नम्बर 32 की भूमि छोड दो या अप्रार्थीगण या इन भू–माफियो को बेच दो तो प्रार्थी ने मना किया तो भू–माफियो बडी कारे ट्रेक्टर लेकर आते एव जबरन बेदखल करने पर उतारू होकर निर्माण की धमकी देते। पॉच दिन पूर्व मे कुछ माफिया एव अप्रार्थीगण मौके पा आए तथा खसरा नम्बर 32 की भूमि पर निर्माण सामग्री डालने लगे तो प्रार्थी ने मना किया तो वे नही माने धमकाने लगे तो प्रार्थी ने पुलिस थाना मे शिकायत की परन्तु भु माफियो की पुलिस में पकड होने के कारण पुलिस प्रार्थी को टरकाती रही जिससे अप्रार्थीगण रातो रात दीवार का निर्माण करने लगे तथा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हो गये परन्तु प्रार्थी मौके पर काबिज रहा परन्तु दिनांक 09.08.2023 को फिर अप्रार्थीगण मौके पर आकर जबरन बेदखल करने लगे तो प्रार्थी ने अपने रिश्तेदारो को इकट्ठा किया तो अप्रार्थीगण चले गये तथा धमकी दी कि उन्होने राजस्व रेकार्ड मे फेरफार कर दिया है तथा प्रार्थी का रकबा भी कम दर्ज करवा दीया है जबकि विवादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है जिस पर प्रार्थी हल्का पटवारी से नकल ली तो पता चला कि रेकार्ड मे प्रार्थी का हिस्सा गलत दर्ज करवा लिया है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा उक्त वाद बाबत घोषणा एव रेकार्ड दुरूस्ती का पेश किया जा रहा है जिसके तहत खसरा 32 रकबा 01 बीधा 3 बिस्वा एव खसरा नम्बर 18 की 6 बीधा 2 बिस्वा कुल 7 बीधा 5 बिस्वा का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया जाकर रेकार्ड दुरूस्ती कि जावे जिसके लिए उक्त वाद पेश है तथा उक्त भुमि रेकार्ड मे सामलाती तौर पर दर्ज है जबकि मौखिक बंट के अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 32 एव खसरा नम्बर 18 कुल 7 बीधा 5 बिस्वा भूमि किसी मिले जिस अनुसार प्रार्थी का बंट अलग किया जाकर अलग खाते मे दर्ज कर तरमीम दर्ज किया जावे जिसके लिए वाद बाबत विभाजन हेतु पेश किया गया । प्राथी विवादग्रस्त भूमि का मुल खातेदार है तथा अप्रार्थीगण अजनबी केता है तथा भूमि राजस्व रेकार्ड मे सामलाती दर्ज हे जबकि भूमि वर्ष 1985 मे ही मौके पर बटी हुई है परन्तु अप्रार्थी गण वर्ष 1985 के बंट को न मान कर मनमाने तौर पर जबरन भुमि पर कब्जा करने हेतु उतारू है तथा निर्माण कार्य करे प्रार्थी को बेदखल करने हेतु आमदा है जबकि उनको ऐसा करने का कानूनी अधिकार नही है एव अप्रार्थी गण जोर जबरदस्ती निर्माण करने पर आमदा है ऐसी स्थिति मे अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे की भूमि मे दखल हस्तेक्षेप न करे तथा प्रार्थी को बेदखल न करे इस बाबत वाद बावत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया। एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को प्रार्थी के उक्ते खसरों में प्रवेश नहीं करने हेतु एवं खेती कार्यो में रूकावट पैदा नहीं करने हेतु पाबंद किया जावें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की तरफ से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1से 4 की तरफ से जवाब भी पेश किया । अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने अपने जवाब में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यों का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 18 रकबा 20 बीधा 12 बिस्वा अर्थात 3.3346 हैक्टर एव खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीधा 3 बिस्वा अर्थात 0.1862 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 21 बीधा 15 बिस्वा भूमि मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

हक हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे एव मौक व राजस्व रेकार्ड यथास्थिति बनाई रखे विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि को बेचान नही करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

अप्राथीगण अधिवक्त द्वारा अपने जवाव के तथ्यो को दोहरते हुवे वहस मे वताया गया कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के विवाद ग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 18 एव खसरा नम्बर 32 की कुल 21 बीधा 15 बिस्वा मे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है सही तथ्य इस प्रकार से हे कि ग्राम नारनाडी मे धत्राराम के नाम से तीन खसरान् यथा खसरा नम्बर 19 रकवा 9 बीधा खसरा नम्बर 18 रकवा 20 बीधा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 32 रकबा 01 बीधा 3 बिस्वा कुल जमीन 30 बीधा 15 बिस्वा आई हुई थी। धत्राराम क तीन पुत्र राणाराम प्रार्थी मानाराम एव खरताराम थे। मुल खातेदार धत्राराम एव खरताराम का स्वर्गवास हो चुका था धत्राराम की उक्त खातेदारी जमीन को उनके तीन वारिसान मे विभक्त होनी थी अर्थात प्रत्येक सह खातेदार के हिस्से मे 10 बीधा 5 बिस्वा जमीन हिस्से मे आनी थी एव खातेदार धत्राराम के स्वर्गवास के पश्चात उक्त जमीन हिस्से उनके दो पुत्रो राणाराम मानाराम एव स्व0 खरताराम के वारिसान के नाम से खातेदारी मे दर्ज होनी थी। परन्तु राणाराम एव प्रार्थी ने अपने तीसरे भाई के कोई विधिक वारिसान नही होना कथन करते हुए उक्त जमीन का म्यूटैशन सिर्फ अपने नाम से करवा लिया। तत्पश्चात उक्त गलत तरीके से भरे हुए म्यूटैशन के आधार पर राणाराम एव प्रार्थी मानाराम ने खसरा नम्बर 19 की सम्पूर्ण 9 बीधा जमीन को श्री छगनाराम पुत्र श्री मोडाराम जाति मेधवाल निवासी डेली जोधपुर को पंजीबद्व बेचाननामा के जरिये विकय कर दी था उक्त श्री छगनाराम ने भी उक्त सम्पूर्ण जमीन 9 बीधा को और आगे विकय कर दी। इस प्रकार खरताराम के वारिसान को सभी तथ्यो की जानकारी होने के पश्चात खरताराम के वारिसान ने प्रथम अपील अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के न्यायालय मे पेश की उक्त अपील स्वीकार हुई खरताराम के वारिसानो के नाम खातेदारी दर्ज हुई उक्त अपीलाय आदेश के विरूद्व मानाराम ने द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय मे पेश की अतिरिक्त सभागीय आयुक्त ने उक्त अपील खारिज की गई तत्पश्चात मानाराम ने माननीय निगरानी की जा निगरानी संख्या 4760/2011 दिनांक 21.08.2015 को खारिज की गई तीनो न्यायालय ने खरताराम के वारिसान भीकी देवी वगैरा को माना है मानाराम व राणाराम ने खरताराम फौत होने के पश्चात नओलद म्यूटेशन संख्या 448 अपने नाम स्वीकृत करावाकर खसरा नम्बर 19 रकबा 9 बीधा सम्पूर्ण भूमि का बेचान छगनाराम को कर दिया छगनाराम ने उक्त भूमि को आगे बेचान कूनाराम को कर दिया उक्त खसरे मे खरताराम का भी उक्त भूमि मे 3 बीधा भूमि बट मे आती थी लेकिन राणाराम व मानाराम ने मिलकर खरताराम के हिस्से की 3 बीधा को अधिक विकय कर दिया उस 3 बीधा जमीन को उनके अन्य खसरा नम्बर 18 व 32 मे कम किया गया प्रार्थी ने सभी तथ्यो को छुपाते हुवे दावा प्रस्तुत किया है जो इस आधार पर खारिज किया जाने योग्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है प्रथम दृष्ट्या यह है कि खसरा नम्बर 18 व 32 के अलावा खसरा नम्बर 19 भी प्रार्थी मानाराम राणाराम व खरताराम के नाम से खातेदारी मे रहा होगा।खरताराम को नऔलद फौत बताकर प्रार्थी मानाराम व राणाराम ने अपने नाम म्यूटेशन संख्या 448 स्वीकृत करवाने के बाद मानाराम राणाराम खसरा नम्बर 19 का रकबा 9 बीधा भूमि को बेचान कर दिया है जिसमे खरताराम का 3 बीधा भूमि बंट मे आती है न्यायालय के आदेशो का अवलोकन करने से ज्ञात हुवा कि प्रार्थी ने उक्त तथ्यो को छुपा कर खसरा नम्बर 18 व 19 मे अपना 1/3 हिस्से का दावा पेश किया है जबकि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 19 मे खरताराम के हिस्से की भुमि का बेचान कर दिया था इस कारण अब प्रार्थी उक्त खसरे मे प्रार्थी 1/3 की हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही होने के कारण प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दष्ट्या मामला नही बनता है खरताराम क वारिसान के नाम न्यायालयो के आदेश के तहत म्यूटेशन दर्ज होने पश्चात खसरा नम्बर 18 व 19 की भूमि जो अपने हिस्से मे बट मे आती है उसका बेचान अप्रार्थी को कर दिया है इस कारण प्रथम दष्ट्या मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 09/10/2023 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner